संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): डिप्टी चेयरमैन सर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सुषमा स्वराज जी का एक बिल है, for leave to withdraw a Bill to amend the Nalanda University Act, तो वह पहले ले लिया जाए।

श्री उपसभापति: ठीक है। माननीया मंत्री जी।

GOVERNMENT BILLS

The Nalanda University (Amendment) Bill, 2013

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 का संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, मैं विधेयक को वापस लेती हूं।

STATUTORY RESOLUTION*

Proclamation issued by the President on 19th December, 2018 under Article 356 of the Constitution of India in relation to the State of Jammu and Kashmir — *Contd.*

श्री उपसभापति: कल माननीय गृह मंत्री जी के Statutory Resolution पर जम्मू-कश्मीर पर जो बहस हो रही थी, उस पर आज माननीय नेता विरोधी दल बहस को आगे बढ़ाएंगे।

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं AIADMK और DMK के माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कश्मीर जैसे सेंसेटिव इश्यू और बॉर्डर स्टेट के लोगों की भावनाओं को दिमाग में रखते हुए यह निर्णय लिया कि जब तक इस सदन में कश्मीर पर बहस होगी, तब तक वे जेल में नहीं आएंगे, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

सर, जब भी हम कश्मीर के किसी मुद्दे पर बात करें, तो उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है और जब तक इतिहास नहीं जानेंगे, तो वे सरकारें हमेशा गलती करेंगी, जो इतिहास से जुड़ी नहीं हैं। आप, या कोई भी दूसरी सरकारें, जो बीच में आईं, वर्ष 1947 से लेकर आज तक, उनको

---

* Further discussion on the following Resolution moved by Shri Rajnath Singh, Minister of Home Affairs on the 2nd of January, 2019 Continued.